राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	4050/2024 शोभाराम मीणा	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर (राज.)। 3. उप निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, उदयपुर (राज.)। 4. आयुक्त, नगर निगम, बांसवाडा। 5. कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका बोर्ड, सांगोद, जिला कोटा।	16.12.2024	श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक
2.	4051/2024 गजेन्द्र कुमार नागर			

आदेश की दिनांक : 20.12.2024

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 4050/2024 शोभाराम मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में फायरमैन के पद पर कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सांगोद, कोटा में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 19.05.2014 के द्वारा हुई थी और उसे नगर परिषद, बांसवाडा पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 10.10.2016 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन

स्थान पर स्थानांतरित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 09.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति कंफर्म की गई और रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध फायरमैन के पद की वरिष्ठता सूची वर्ष 2013–17 की जारी की गई। परंतु अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में अंकित नहीं किया गया और वर्ष 2023–24 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं जोडा गया और न ही अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में दिनांक 25.09.2024 को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी वरिष्ठता सूची राजस्थान म्यूनिसिपलिटिज (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम, 1963 के नियम 28 के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि वर्ष 2017 से 2022 एवं वर्ष 2023–24 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम भी जोडा जावे तथा अपीलार्थी को टिंडल के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। तत्पश्चात् सहायक फायर एक्जिटिंगग्यूसिंग ऑफिसर के पद पर भी पदोन्नति प्रदान करने हेतु समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन फायरमैन के पद पर कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, सांगोद, कोटा में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में

अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 4050/2024 शोभाराम मीणा बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 4051/2024 गजेन्द्र कुमार नागर में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य